



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938 (शक)
No. 12] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 22nd March, 2016/Chaitra 2, 1938 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 21st March, 2016, and is hereby published for general information:—

THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016

No. 11 OF 2016

[21st March, 2016.]

An Act to provide for the establishment of a national standards body for the harmonious development of the activities of standardisation, conformity assessment and quality assurance of goods, articles, processes, systems and services and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

- (1) This Act may be called the Bureau of Indian Standards Act, 2016.
(2) It extends to the whole of India.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Short title,
extent and
commencement.

- In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(1) "article" means any substance, artificial or natural, or partly artificial or partly natural, whether raw or partly or wholly processed or manufactured or hand-made within India or imported into India;

(2) "assaying and hallmarking centre" means a testing and marking centre recognised by the Bureau to determine the purity of precious metal articles and to apply hallmark on the precious metal articles in a manner as may be determined by regulations;

(3) "Bureau" means the Bureau of Indian Standards established under section 3;

(4) "certification officer" means a certification officer appointed under sub-section (1) of section 27;

(5) "certified body" means a holder of certificate of conformity or licence under sub-section (2) of section 13 in relation to any goods, article, process, system or service which conforms to a standard;

(6) "certified jeweller" means a jeweller who has been granted a certificate by the Bureau to get manufactured for sale or to sell any precious metal article after getting the same hallmarked in a manner as may be determined by regulations;

(7) "conformity assessment" means demonstration that requirements as may be specified relating to an article, process, system, service, person or body are fulfilled;

(8) "conformity assessment scheme" means a scheme relating to such goods, article, process, system or service as may be notified by the Bureau under section 12;

(9) "consumer" means a person as defined in the Consumer Protection Act, 1986;

68 of 1986.

(10) "covering" includes any stopper, cask, bottle, vessel, box, crate, cover, capsule, case, frame, wrapper, bag, sack, pouch or other container;

(11) "Director General" means the Director General appointed under sub-section (1) of section 7;

(12) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 4;

(13) "fund" means the fund constituted under section 20;

(14) "goods" includes all kinds of movable properties under the Sale of Goods Act, 1930, other than actionable claims, money, stocks and shares;

3 of 1930.

(15) "Governing Council" means a Governing Council constituted under sub-section (3) of section 3;

(16) "Hallmark" means in relation to precious metal article, the Standard Mark, which indicates the proportionate content of precious metal in that article as per the relevant Indian Standard;

(17) "Indian Standard" means the standard including any tentative or provisional standard established and published by the Bureau, in relation to any goods, article, process, system or service, indicative of the quality and specification of such goods, article, process, system or service and includes—

(i) any standard adopted by the Bureau under sub-section (2) of section 10; and

(ii) any standard established and published, or recognised, by the Bureau of Indian Standards established under the Bureau of Indian Standard Act, 1986, which was in force immediately before the commencement of this Act;

63 of 1986.

(18) "Indian Standards Institution" means the Indian Standards Institution registered under the Societies Registration Act, 1860;

21 of 1860.

(19) "jeweller" means a person engaged in the business to get manufactured precious metal article for sale or to sell precious metal articles;

(20) "licence" means a licence granted under section 13 to use a specified Standard Mark in relation to any goods, article, process, system or service, which conforms to a standard;

(21) "manufacturer" means a person responsible for designing and manufacturing any goods or article;

(22) "mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, pictorial representation, name, signature, word, letter or numeral or any combination thereof;

(23) "member" means a member of the Governing Council, Executive Committee or any of the Advisory Committee;

(24) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notify" or "notified" shall be construed accordingly;

(25) "person" means a manufacturer, an importer, a distributor, retailer, seller or lessor of goods or article or provider of service or any other person who uses or applies his name or trade mark or any other distinctive mark on to goods or article or while providing a service, for any consideration or gives goods or article or provides service as prize or gift for commercial purposes including their representative and any person who is engaged in such activities, where the manufacturer, importer, distributor, retailer, seller, lessor or provider of service cannot be identified;

(26) "precious metal" means gold, silver, platinum and palladium;

(27) "precious metal article" means any article made entirely or in part from precious metals or their alloys;

(28) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(29) "process" means a set of inter-related or interacting activities, which transforms inputs into outputs;

(30) "recognised testing and marking centre" means a testing and marking centre recognised by the Bureau under sub-section (5) of section 14;

(31) "recognised testing laboratory" means a testing laboratory recognised by the Bureau under sub-section (4) of section 13;

(32) "registering authority" means any authority competent under any law for the time being in force to register any company, firm or other body of persons, or any trade mark or design, or to grant a patent;

(33) "regulations" means regulations made by the Bureau under this Act;

(34) "sale" means to sell, distribute, hire, lease or exchange of goods, article, process, system or service for any consideration or for commercial purposes;

(35) "seller" means a person who is engaged in the sale of any goods, article, process, system or service;

(36) "service" means the result generated by activities at the interface between an organisation and a customer and by organisation's internal activities, to meet customer requirements;

(37) "specification" means a description of goods, article, process, system or service as far as practicable by reference to its nature, quality, strength, purity, composition, quantity, dimensions, weight, grade, durability, origin, age, material, mode of manufacture or processing, consistency and reliability of service delivery or other characteristics to distinguish it from any other goods, article, process, system or service;

(38) "specified" means specified by the regulations;

(39) "standards" means documented agreements containing technical specifications or other precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of characteristics, to ensure that goods, articles, processes, systems and services are fit for their purpose;

(40) "Standard Mark" means the mark specified by the Bureau, and includes Hallmark, to represent conformity of goods, article, process, system or service to a particular Indian Standard or conformity to a standard, the mark of which has been established, adopted or recognised by the Bureau and is marked on the article or goods as a Standard Mark or on its covering or label attached to such goods or article so marked;

(41) "system" means a set of inter-related or interacting elements;

(42) "testing laboratory" means a body set up for the purpose of testing of goods or article against a set of requirements and report its findings;

(43) "trade mark" means a mark used or proposed to be used in relation to goods or article or process or system or service for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade of goods, article, process, system or service, as the case may be, and some person having the right, either as proprietor or as registered user, to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person.

CHAPTER II

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Establishment
of Bureau and
Constitution of
Governing
Council.

3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be established a national body for the purposes of this Act, a Bureau, to be called the Bureau of Indian Standards.

(2) The Bureau shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(3) The members of the Governing Council shall constitute the Bureau and general superintendence, direction and management of the affairs of the Bureau shall vest in the Governing Council, which shall consist of the following members, namely:—

(a) the Minister in-charge of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be *ex officio* President of the Bureau;

(b) the Minister of State or a Deputy Minister, if any, in the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau who shall be *ex officio* Vice-President of the Bureau, and where there is no such Minister of State or Deputy Minister, such person as may be nominated by the Central Government to be the Vice-President of the Bureau;

(c) the Secretary to the Government of India of the Ministry or Department of the Central Government having administrative control of the Bureau, *ex officio*;

(d) the Director General of the Bureau, *ex officio*;

(e) such number of other persons to represent the Government, industry, scientific and research institutions, consumers and other interests, as may be prescribed, to be appointed by the Central Government.

(4) The term of office of the members referred to in clause (e) of sub-section (3) and the manner of filling vacancies among, and the procedure to be followed in the discharge of their functions by the members, shall be such as may be prescribed:

Provided that a member, other than an *ex officio* member of the Bureau of Indian Standards constituted under the Bureau of Indian Standards Act, 1986, shall, after the commencement of this Act, continue to hold such office as member till the completion of his term.

(5) The Governing Council may associate with itself, in such manner and for such purposes as may be prescribed, any person whose assistance or advice it may desire in complying with any of the provisions of this Act and a person so associated shall have the right to take part in the discussions of the Governing Council relevant to the purposes for which he has been associated but shall not have the right to vote.

(6) The Governing Council may, by general or special order in writing, delegate to any member, the Director General or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act except the powers under section 37 as it may deem necessary.

4. (1) The Governing Council may, with the prior approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, constitute an Executive Committee which shall consist of the following members, namely:—

Executive Committee of Bureau.

- (a) Director General of the Bureau, who shall be its *ex officio* Chairman; and
- (b) such number of members, as may be prescribed.

(2) The Executive Committee constituted under sub-section (1) shall perform, exercise and discharge such functions, powers and duties of the Bureau, as may be delegated to it by the Governing Council.

5. (1) Subject to any regulations made in this behalf, the Governing Council may, from time to time and as and when it is considered necessary, constitute the following Advisory Committees for the efficient discharge of the functions of the Bureau, namely: —

Advisory Committees of Bureau.

- (a) Finance Advisory Committee;
- (b) Conformity Assessment Advisory Committee;
- (c) Standards Advisory Committee;
- (d) Testing and Calibration Advisory Committee; and
- (e) such number of other committees as may be specified by regulations.

(2) Each Advisory Committee shall consist of a Chairman and such other members as may be specified by regulations.

6. No act or proceedings of the Governing Council, under section 3 shall be invalid merely by reason of—

Vacancies, etc., not to invalidate act or proceedings.

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Governing Council; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Governing Council; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Governing Council not affecting the merits of the case.

7. (1) The Central Government shall appoint a Director General of the Bureau.

Director General.

(2) The terms and conditions of service of the Director General of the Bureau shall be such as may be prescribed.

(3) Subject to the general superintendence and control of the Governing Council, the Director General of the Bureau shall be the Chief Executive Authority of the Bureau.

(4) The Director General of the Bureau shall exercise and discharge such of the powers and duties of the Bureau as may be specified by regulations.

(5) The Director General may, by general or special order in writing, delegate to any officer of the Bureau subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of his powers and functions as are assigned to him under the regulations or are delegated to him by the Governing Council, as he may deem necessary.

Officers and employees of Bureau.

8. (1) The Bureau may appoint such other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(2) The terms and conditions of service of officers and employees of the Bureau appointed under sub-section (1) shall be such as may be specified by regulations.

Powers and functions of Bureau.

9. (1) The powers and duties as may be assigned to the Bureau under this Act shall be exercised and performed by the Governing Council and, in particular, such powers may include the power to—

(a) establish branches, offices or agencies in India or outside;

(b) recognise, on reciprocal basis or otherwise, with the prior approval of the Central Government, the mark of any international body or institution, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon by the Bureau in relation to any goods, article, process, system or service at par with the Standard Mark for such goods, article, process, system or service;

(c) seek recognition of the Bureau and of the Indian Standards outside India on such terms and conditions as may be mutually agreed upon by the Bureau with any corresponding institution or organisation in any country or with any international organisation;

(d) enter into and search places, premises or vehicles, and inspect and seize goods or articles and documents to enforce the provisions of this Act;

(e) provide services to manufacturers and consumers of goods or articles or processes for compliances of standards on such terms and conditions as may be mutually agreed upon;

(f) provide training services in relation to quality management, standards, conformity assessment, laboratory testing and calibration, and any other related areas;

(g) publish Indian Standards and sell such publications and publications of international bodies;

(h) authorise agencies in India or outside India for carrying out any or all activities of the Bureau and such other purposes as may be necessary on such terms and conditions as it deems fit;

(i) obtain membership in regional, international and foreign bodies having objects similar to that of the Bureau and participate in international standards setting process;

(j) undertake testing of samples for purposes other than for conformity assessment; and

(k) undertake activities relating to legal metrology.

(2) The Bureau shall take all necessary steps for promotion, monitoring and management of the quality of goods, articles, processes, systems and services, as may be necessary, to protect the interests of consumers and various other stake holders which may include the following namely:—

(a) carrying out market surveillance or survey of any goods, article, process, system or service to monitor their quality and publish findings of such surveillance or surveys;

(b) promotion of quality in connection with any goods, article, process, system or service by creating awareness among the consumers and the industry and educate them about quality and standards in connection with any goods, article, process, system and service;

(c) promotion of safety in connection with any goods, article, process, system or service;

(d) identification of any goods, articles, process, system or service for which there is a need to establish a new Indian Standard, or to revise an existing Indian Standard;

(e) promoting the use of Indian Standards;

(f) recognising or accrediting any institution in India or outside which is engaged in conformity certification and inspection of any goods, article, process, system or service or of testing laboratories;

(g) coordination and promotion of activities of any association of manufacturers or consumers or any other body in relation to improvement in the quality or in the implementation of any quality assurance activities in relation to any goods, article, process, system or service; and

(h) such other functions as may be necessary for promotion, monitoring and management of the quality of goods, articles, processes, systems and services and to protect the interests of consumers and other stake holders.

(3) The Bureau shall perform its functions under this section through the Governing Council in accordance with the direction and subject to such rules as may be made by the Central Government.

CHAPTER III

INDIAN STANDARDS, CERTIFICATION AND LICENCE

10. (1) The standards established by the Bureau shall be the Indian Standards.

Indian
Standards.

(2) The Bureau may—

(a) establish, publish, review and promote the Indian Standard, in relation to any goods, article, process, system or service in such manner as may be prescribed;

(b) adopt as Indian Standard, any standard, established by any other Institution in India or elsewhere, in relation to any goods, article, process, system or service in such manner as may be prescribed;

(c) recognise or accredit any institution in India or outside which is engaged in standardisation;

(d) undertake, support and promote such research as may be necessary for formulation of Indian Standards.

(3) The Bureau, for the purpose of this section, shall constitute, as and when considered necessary, such number of technical committees of experts for the formulation of standards in respect of goods, articles, processes, systems or services, as may be necessary.

(4) The Indian Standard shall be notified and remain valid till withdrawn by the Bureau.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law, the copyright in an Indian Standard or any other publication of the Bureau shall vest in the Bureau.

11. (1) No individual shall, without the authorisation of the Bureau, in any manner or form, publish, reproduce or record any Indian Standard or part thereof, or any other publication of the Bureau.

Prohibition to
publish,
reproduce or
record without
authorisation
by Bureau.

(2) No person shall issue a document that creates, or may create the impression that it is or contains an Indian Standard, as contemplated in this Act:

Provided that nothing in this sub-section shall prevent any individual from making a copy of Indian Standard for his personal use.

Conformity Assessment scheme.

12. (1) The Bureau may notify a specific or different conformity assessment scheme for any goods, article, process, system or service or for a group of goods, articles, processes, systems or services, as the case may be, with respect to any Indian Standard or any other standard in a manner as may be specified by regulations.

(2) The Bureau may establish a Standard Mark in relation to each of its conformity assessment schemes, which shall be of such design and contain such particulars as may be specified by regulations to represent a particular standard.

Grant of licence or certificate of conformity.

13. (1) A person may apply for grant of licence or certificate of conformity, as the case may be, if the goods, article, process, system or service conforms to an Indian Standard.

(2) Where any goods, article, process, system or service conforms to a standard, the Director General may, by an order, grant—

(a) a certificate of conformity in a manner as may be specified by regulations; or

(b) a licence to use or apply a Standard Mark in a manner as may be specified by regulations,

subject to such conditions and on payment of such fees, including late fee or fine, before or during the operation of the certificate of conformity or licence, and as determined by regulations.

(3) While granting a certificate of conformity or licence to use a Standard Mark, the Bureau may, by order, specify the marking and labelling requirements that shall necessarily be affixed as may be specified from time to time.

(4) The Bureau may establish, maintain or recognise testing laboratories for the purposes of conformity assessment and quality assurance and for such other purposes as may be required for carrying out its functions.

Certification of Standard Mark of jewellers and sellers of certain specified goods or articles.

14. (1) The Central Government, after consulting the Bureau, may notify precious metal articles or other goods or articles as it may consider necessary, to be marked with a Hallmark or Standard Mark, as the case may be, in a manner as specified in sub-section (2).

(2) The goods or articles notified in sub-section (1) may be sold through retail outlets certified by the Bureau after such goods or articles have been assessed for conformity to the relevant standard by testing and marking centre, recognised by the Bureau and marked with Hallmark or Standard Mark, as the case may be, as specified by regulations.

(3) The Central Government may, after consulting the Bureau, by an order published in the Official Gazette, make it compulsory for the sellers of goods or article notified under sub-section (1) to be sold only through certified sales outlets fulfilling such conditions as may be determined by regulations.

(4) The Bureau may, by an order, grant, renew, suspend or cancel certification of Standard Mark or Hallmark of a jeweller or any other seller for sale of goods or articles notified under sub-section (1) in such manner as may be determined by regulations.

(5) The Bureau may establish, maintain and recognise testing and marking centres, including assaying and hallmarking centres, for conformity assessment and application of Standard Mark, including Hallmark, on goods or articles notified under sub-section (1), in a manner as may be specified by regulations.

(6) No testing and marking centre or assaying and hallmarking centre, other than the recognised by the Bureau, shall with respect to goods or articles notified under sub-section (1), use, affix, emboss, engrave, print or apply in any manner the Standard Mark, including the Hallmark, or colourable imitation thereof, on any goods or article; and make any claim in relation to the use and application of a Standard Mark, including the Hallmark, through advertisements, sales promotion leaflets, price lists or the like.

(7) Every recognised testing and marking centre, including assaying and hallmarking centre, shall use or apply Standard Mark on good or articles notified under sub-section (1), including Hallmark on precious metal articles, after accurately determining the conformity of the same in a manner as may be specified.

(8) No recognised testing and marking centre, including assaying and hallmarking centre, shall, notwithstanding that it has been recognised under sub-section (5), use or apply in relation to any goods or article notified under sub-section (1) a Standard Mark, including Hallmark, or any colourable imitation thereof, unless such goods or article conforms to the relevant standard.

15. (1) No person shall import, distribute, sell, store or exhibit for sale, any goods or article under sub-section (1) of section 14, except under certification from the Bureau.

Prohibition to import, sell, exhibit, etc.

(2) No person, other than that certified by the Bureau, shall sell or display or offer to sell goods or articles that are notified under sub-section (3) of section 14 and marked with the Standard Mark, including Hallmark and claim in relation to the Standard Mark, including Hallmark, through advertisements, sales promotion leaflets, price lists or the like.

(3) No certified jeweller or seller shall sell or display or offer to sell any notified goods or articles, notwithstanding that he has been granted certification, with the Standard Mark, including Hallmark, or any colourable imitation thereof, unless such goods or article is marked with a Standard Mark or Hallmark, in a manner as may be specified by regulations, and unless such goods or article conforms to the relevant standard.

16. (1) If the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest or for the protection of human, animal or plant health, safety of the environment, or prevention of unfair trade practices, or national security, it may, after consulting the Bureau, by an order published in the Official Gazette, notify—

Central Government to direct compulsory use of Standard Mark.

(a) goods or article of any scheduled industry, process, system or service; or

(b) essential requirements to which such goods, article, process, system or service,

which shall conform to a standard and direct the use of the Standard Mark under a licence or certificate of conformity as compulsory on such goods, article, process, system or service.

Explanation.—For the purpose of this sub-section,—

(i) the expression “scheduled industry” shall have the meaning assigned to it in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951;

(ii) it is hereby clarified that essential requirements are requirements, expressed in terms of the parameters to be achieved or requirements of standard in technical terms that effectively ensure that any goods, article, process, system or service meet the objective of health, safety and environment.

(2) The Central Government may, by an order authorise Bureau or any other agency having necessary accreditation or recognition and valid approval to certify and enforce conformity to the relevant standard or prescribed essential requirements under sub-section (1).

17. (1) No person shall manufacture, import, distribute, sell, hire, lease, store or exhibit for sale any such goods, article, process, system or service under sub-section (1) of section 16—

Prohibition to manufacture, sell, etc., certain goods without Standard Mark.

(a) without a Standard Mark, except under a valid licence; or

(b) notwithstanding that he has been granted a license, apply a Standard Mark, unless such goods, article, process, system or service conforms to the relevant standard or prescribed essential requirements.

(2) No person shall make a public claim, through advertisements, sales promotion leaflets, price lists or the like, that his goods, article, process, system or service conforms to an Indian standard or make such a declaration on the goods or article, without having a valid certificate of conformity or licence from the Bureau or any other authority approved by the Central Government under sub-section (2) of section 16.

(3) No person shall use or apply or purport to use or apply in any manner, in the manufacture, distribution, sale, hire, lease or exhibit or offer for sale of any goods, article, process, system or service, or in the title of any patent or in any trade mark or design, a Standard Mark or any colourable imitation thereof, except under a valid licence from the Bureau.

Obligations of
licence holder,
seller, etc.

18. (1) The licence holder shall, at all times, remain responsible for conformance of the goods, articles, processes, systems or services carrying the Standard Mark.

(2) It shall be the responsibility of the distributor or the seller, as the case may be, to ensure that goods, articles, processes, systems or services carrying the Standard Mark are purchased from certified body or licence holder.

(3) It shall be the responsibility of the seller before the goods or article is sold or offered to be sold or exhibited or offered for sale to ensure that—

(a) goods, articles, processes, systems or services carrying the Standard Mark bear the requisite labels and marking details, as specified by the Bureau from time to time;

(b) the marking and labelling requirements on the product or covering is displayed in a manner that has been specified by the Bureau.

(4) Every certified body or licence holder shall supply to the Bureau with such information and with such samples of any material or substance used in relation to any goods, article, process, system or service, as the case may be, as the Bureau may require for monitoring its quality and for the recovery of the fee as may be prescribed in the certificate of conformity or the licence.

(5) (a) The Bureau may make such inspection and take such samples of any material or substance as may be necessary to see whether any goods, article, process, system or service, in relation to which a Standard Mark has been used, conforms to the requirements of the relevant standard or whether the Standard Mark has been properly used in relation to any goods, article, process, system or service with or without a licence.

(b) The Bureau may publicise the results of its findings and the directions given in pursuance thereof.

(6) If the Bureau is satisfied under the provisions of sub-sections (4) and (5) that the goods, articles, processes, systems or services in relation to which a Standard Mark has been used do not conform to the requirements of the relevant standard, the Bureau may direct the certified body or licence holder or his representative to stop the supply and sale of non-conforming goods or articles and recall the non-conforming goods or articles that have already been supplied or offered for sale and bear such mark from the market or any such place from where they are likely to be offered for sale or prohibit to provide the service.

(7) Where a certified body or licence holder or his representative has sold goods, articles, processes, system or services, which bear a Standard Mark or any colourable imitation thereof, which do not conform to the relevant standard, the Bureau shall direct the certified body or licence holder or his representative to—

(a) repair or replace or reprocess the standard marked goods, article, process, system or service in a manner as may be specified; or

(b) pay compensation to the consumer as may be prescribed by the Bureau; or

(c) be liable for the injury caused by non-conforming goods or article, which bears a Standard Mark, as per the provisions of section 31.

CHAPTER IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

19. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the Bureau grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

Financial Management of Bureau of Indian Standards.

20. (1) There shall be constituted a fund to be called the Bureau of Indian Standards fund and there shall be credited thereto—

Fund of Bureau.

(a) any grants and loans made to the Bureau by the Central Government;

(b) all fees and charges received by the Bureau under this Act;

(c) all fines received by the Bureau;

(d) all sums received by the Bureau from such other sources as may be decided upon by the Central Government.

(2) The fund shall be applied for meeting—

(a) the salary, allowances and other remuneration of the members, Director General, officers and other employees of the Bureau;

(b) expenses of the Bureau in the discharge of its functions under the Act; and

(c) expenses on objects and for purposes authorised by this Act:

Provided that the fines received in clause (c) of sub-section (1) shall be used for consumer awareness, consumer protection and promotion of quality of goods, articles, processes, system or services in the country.

21. (1) The Bureau may, with the consent of the Central Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the Central Government, borrow money from any source as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.

Borrowing powers of Bureau.

(2) The Central Government may guarantee in such manner as it thinks fit, the repayment of the principal and the payment of interest thereon with respect to the loans borrowed by Bureau under sub-section (1).

22. The Bureau shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Bureau and forward the same to the Central Government.

Budget.

23. (1) The Bureau shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year, and submit a copy thereof to the Central Government.

Annual report.

(2) The Central Government shall cause the annual report to be laid, as soon as may be after it is received, before each House of Parliament.

24. (1) The Bureau shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

Accounts and audit.

(2) The accounts of the Bureau shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Bureau to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Bureau shall have the same rights and

privileges and the authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has in connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any office of the Bureau.

(4) The accounts of the Bureau as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before each House of Parliament.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Power of
Central
Government to
issue
directions.

25. (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Bureau shall, in the exercise of its powers or the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time:

Provided that the Bureau shall, as far as practicable, be given an opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.

(2) The decision of the Central Government whether a question is one of policy or not shall be final.

(3) The Central Government may take such other action as may be necessary for the promotion, monitoring and management of quality of goods, articles, processes, systems and services and to protect the interests of consumers and various other stakeholders and notify any other goods, articles, processes, systems and services for the purpose of sub-section (1) of section 16.

Restriction on
use of name of
Bureau and
Indian
Standard.

26. (1) No person shall, with a view to deceive or likely to deceive the public, use without the previous permission of the Bureau,—

(a) any name which so nearly resembles the name of the Bureau as to deceive or likely to deceive the public or the name which contains the expression "Indian Standard" or any abbreviation thereof; or

(b) any title of any patent or mark or trade mark or design, in relation to any goods, article, process, system or service, containing the expressions "Indian Standard" or "Indian Standard Specification" or any abbreviation of such expressions.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no registering authority shall—

(a) register any company, firm or other body of persons which bears any name or mark; or

(b) register a trade mark or design which bears any name or mark; or

(c) grant a patent, in respect of an invention, which bears a title containing any name or mark,

if the use of such name or mark is in contravention of sub-section (1).

(3) If any question arises before a registering authority whether the use of any name or mark is in contravention of sub-section (1), the registering authority may refer the question to the Central Government whose decision thereon shall be final.

Appointment
and powers of
certification
officers.

27. (1) The Bureau may appoint as many certification officers as may be necessary for the purpose of inspection whether any goods, article, process, system or service in relation to which the Standard Mark has been used conforms to the relevant standard or whether the Standard Mark has been properly used in relation to any goods, article, process, system or service with or without licence, and for performing such other functions as may be assigned to them.

(2) Subject to any rules made under this Act, a certification officer shall have power to—

(a) inspect any operation carried on in connection with any goods, article, process, system or service in relation to which the Standard Mark has been used; and

(b) take samples of any goods or article or of any material or substance used in any goods, article, process, system or service, in relation to which the Standard Mark has been used.

(3) Every certification officer shall be furnished by the Bureau with a certificate of appointment as a certification officer, and the certificate shall, on demand, be produced by the certification officer.

(4) Every certified body or licence holder shall—

(a) provide reasonable facilities to certification officer to enable him to discharge the duties imposed on him;

(b) inform certification officer or the Bureau of any change in the conditions which were declared or verified by the certification officer or the Bureau at the time of grant of certificate of conformity or licence.

(5) Any information obtained by a certification officer or the Bureau from any statement made or information supplied or any evidence given or from inspection made under the provisions of this Act shall be treated as confidential:

Provided that nothing shall apply to the disclosure of any information for the purpose of prosecution and protection of interest of consumers.

28. (1) If the certification officer has reason to believe that any goods or articles, process, system or service in relation to which the contravention of section 11 or sub-sections (6) or (8) of section 14 or section 15 or section 17 has taken place are secreted in any place, premises or vehicle, he may enter into and search such place, premises or vehicle for such goods or articles, process, system or service, as the case may be.

Power to search and seizure.

(2) Where, as a result of any search made under sub-section (1), any goods or article, process, system or service has been found in relation to which contravention of section 11 or sub-sections (6) or (8) of section 14 or section 15 or section 17 has taken place, the certification officer may seize such goods or article and other material and documents which, in his opinion will be useful for, or relevant to any proceeding under this Act:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods or article or material or document, the certification officer may serve on the owner an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with, the goods or article or material or document except with the previous permission of the certification officer.

2 of 1974.

(3) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to searches and seizures shall, so far as may be, apply to every search or seizure made under this section.

29. (1) Any person who contravenes the provisions of section 11 or sub-section (1) of section 26 shall be punishable with fine which may extend to five lakh rupees.

Penalty for contravention.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-sections (6) or (8) of section 14 or section 15 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than one lakh rupees, but may extend up to five times the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold or affixed or applied with a Standard Mark including Hallmark, or with both:

Provided that where the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold cannot be determined, it shall be presumed that one year's production was in such contravention and the annual turnover in the previous financial year shall be taken as the value of goods or articles for such contravention.

(3) Any person who contravenes the provisions of section 17 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to two years or with fine which shall not be less than two lakh rupees for the first contravention and not be less than five lakh rupees for the second and subsequent contraventions, but may extend up to ten times the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold or affixed or applied with a Standard Mark, including Hallmark, or with both:

Provided that where the value of goods or articles produced or sold or offered to be sold cannot be determined, it shall be presumed that one year's production was in such contravention and the annual turnover in the previous financial year shall be taken as the value of goods or articles for such contravention.

(4) The offence under sub-section (3) shall be cognizable.

Offences by companies.

30. Where an offence under this Act has been committed by a company, every director, manager, secretary or other officer of the company who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, or authorised representative of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, irrespective of the fact that the offence has been committed with or without the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, or authorised representative of the company.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

Compensation for non-conforming goods.

31. Where a holder of licence or certificate of conformity or his representative has sold any goods, article, process, system or service, which bears a Standard Mark not conforming to the relevant standard, or with colourable imitation, the certified body or licence holder or his representative shall be liable to compensate the consumer for the injury caused by such non-conforming goods, article, process, system or service in such manner as may be prescribed.

Cognizance of offence by courts.

32. (1) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class, specially empowered in this behalf, shall try any offence punishable under this Act.

(2) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act save on a complaint made by—

(a) or under the authority of the Bureau; or

(b) any police officer, not below the rank of deputy superintendent of police or equivalent; or

(c) any authority notified under sub-section (2) of section 16; or

(d) any officer empowered under the authority of the Government; or

(e) any consumer; or

(f) any association.

(3) Any police officer not below the rank of deputy superintendent of police or equivalent, may, if he is satisfied that any of the offences referred to in sub-section (3) of section 29 has been, is being, or is likely to be, committed, search and seize without warrant, the goods, die, block, machine, plate, other instruments or things involved in committing the offence, wherever found, and all the articles so seized shall, as soon as practicable, be produced before a Magistrate as prescribed under sub-section (1).

(4) The court may direct that any property in respect of which the contravention has taken place shall be forfeited to the Bureau.

(5) The court may direct that any fine, in whole or any part thereof, payable under the provisions of this Act, shall be payable to the Bureau.

2 of 1974.

33. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence committed for the first time, punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by an officer so authorised by the Director General, in such manner as may be prescribed:

Compounding of offence.

Provided that the sum so specified shall not in any case exceed the maximum amount of the fine which may be imposed under section 29 for the offence so compounded; and any second or subsequent offence committed after the expiry of a period of three years from the date on which the offence was previously compounded shall be deemed to be an offence committed for the first time.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the powers to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the Bureau.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought to the notice of the court in which the prosecution is pending in writing by the officer referred to in sub-section (1), and on such notice of the composition of the offence being given and its acceptance by the court, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

34. (1) Any person aggrieved by an order made under section 13 or sub-section (4) of section 14 or section 17 of this Act may prefer an appeal to Director General of the Bureau within such period as prescribed.

Appeal.

(2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the Director General that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(3) Every appeal made under this section shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.

(4) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed:

Provided that before disposing of an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity of being heard.

(5) The Director General may *suo motu* or on an application made in the manner prescribed review the order passed by any officer to whom the power has been delegated by him.

(6) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (5) may prefer an appeal to the Central Government having administrative control of the Bureau within such period as may be prescribed.

Members, officers and employees of Bureau to be public servants.

35. All members, officers and other employees of the Bureau shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

45 of 1860.

Protection of action taken in good faith.

36. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer of the Government or any member, officer or other employee of the Bureau for anything which is in done or intended to be done in good faith under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Authentication of orders and other instruments of Bureau.

37. All orders and decisions of, and all other instruments issued by, the Bureau shall be authenticated by the signature of such officer or officers as may be authorised by the Bureau in this behalf.

Power to make rules.

38. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

39. The Executive Committee may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations consistent with this Act and the rules to carry out the purposes of this Act.

Rules and regulations to be laid before Parliament.

40. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

Act not to affect operation of certain Acts.

41. Nothing in this Act shall affect the operation of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the Drugs and Cosmetics Act, 1940, or any other law for the time being in force, which deals with any standardisation or quality control of any goods, article, process, system or service.

1 of 1937.
23 of 1940.

Power to remove difficulties.

42. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Repeal and savings.

43. (1) The Bureau of Indian Standards Act, 1986 is hereby repealed.

63 of 1986.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have done or taken including any rule, regulation, notification, scheme, specification, Indian Standard, Standard Mark, inspection order or notice made, issued or adopted, or any appointment, or declaration made or any licence, permission, authorisation or exemption granted or any document or instrument executed or direction given or any proceedings taken or any penalty or fine imposed under the Act hereby repealed shall, insofar as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

10 of 1897. (3) The mention of particular matters in sub-section (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to the effect of repeal.

DR. REETA VASISHTA,
Additional Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक) [खंड LIII
NO. 2] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/JYAISTHA 4, 1939 (SAKA) [VOL. LIII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 2017/4 ज्येष्ठ, 1939 (शक)

दि कोल माइन्स (स्पेशल प्रोवीजन्स) ऐक्ट, 2015; (2) दि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन) ऐक्ट, 2015; (3) दि ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऐक्ट, 2016; (4) दि आधार (टारगेटड डिलीवरी आफ फाइनेंशियल एंड अदर सबसिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेस) ऐक्ट, 2016; (5) दि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सेंट्रल एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2016; (6) दि चाइल्ड लेबर (प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2016; (7) दि कम्पेन्सेटरी एफारेस्टेशन फंड ऐक्ट, 2016; (8) दि टेक्सेशन लाज (सेकेंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2016; और (9) दि पेमेंट आफ वेजेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, May 25, 2017/Jyaistha 4, 1939 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:— The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015; (2) The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015; (3) The Bureau of Indian Standards Act, 2016; (4) The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016; (5) The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016; (6) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016; (7) The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016; (8) The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016 and (9) The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 11)	237
The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015	
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2)	269
The Juvenile Justice (Care And Protection of Children) Act, 2015	
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11)	319
The Bureau of Indian Standards Act, 2016	
आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	337
(2016 का अधिनियम संख्यांक 18)	
The Aadhar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016	
डा० राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 32)	357
The Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University Act, 2016	
बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 35)	391
The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016	
प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 38)	397
The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016	
कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 48)	415
The Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2016	
मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 1)	423
The Payment of Wages (Amendment) Act, 2017	

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

(2016 का अधिनियम संख्यांक 11)

[21 मार्च, 2016]

माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता, निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के त्रिआकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ।

परिभाषाएं।

(1) “वस्तु” से कृत्रिम या प्राकृतिक, या अंशतः कृत्रिम या अंशतः प्राकृतिक कोई पदार्थ अभिप्रेत है, चाहे वह भारत के भीतर कच्चा या अंशतः या पूर्णतः प्रसंस्कृत या विनिर्मित या हस्तनिर्मित या भारत में आयातित हो;

(2) “परख और हॉलमार्क केंद्र” से मूल्यवान धातु की वस्तुओं की शुद्धता को अवधारित करने और मूल्यवान धातु की वस्तुओं पर ऐसी रीति में हॉलमार्क लगाने के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नंकन केंद्र अभिप्रेत है;

(3) “ब्यूरो” से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है;

(4) “प्रमाणन अधिकारी” से धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई प्रमाणन अधिकारी अभिप्रेत है;

(5) “प्रमाणित निकाय” से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जो किसी मानक के अनुरूप है, के संबंध में धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अनुरूपता या अनुज्ञप्ति का प्रमाणपत्र धारक अभिप्रेत है;

(6) “प्रमाणित जौहरी” से ऐसा जौहरी अभिप्रेत है जिसको ब्यूरो द्वारा किसी मूल्यवान धातु की वस्तु को ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, हॉलमार्क करने के पश्चात् विक्रय हेतु विनिर्माण कराने या उसका विक्रय करने के लिए कोई प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(7) “अनुरूपता निर्धारण” से ऐसा प्रदर्शन अभिप्रेत है कि किसी धातु, प्रसंस्करण, पद्धति, सेवा, व्यक्ति या निकाय से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है, जो विनिर्दिष्ट की जाएं;

(8) “अनुरूपता निर्धारण स्कीम” से ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से संबंधित कोई ऐसी स्कीम अभिप्रेत है, जिसे ब्यूरो द्वारा धारा 12 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(9) “उपभोक्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित है; 1986 का 68

(10) “आवेष्टक” के अंतर्गत कोई डाट, मंजूषा, बोटल, बर्तन, बक्सा, टोकरा, ढक्कन, कैप्सूल, पेटी, चौखटा, लपेटन, थैला, बोरा, थैली या अन्य आधान भी हैं;

(11) “महानिदेशक” से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(12) “कार्यकारिणी समिति” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

(13) “निधि” से धारा 20 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(14) “माल” से अनुयोज्य दावों, धन, स्टॉक और शेयरों से भिन्न माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अधीन सभी प्रकार की जंगम संपत्तियां अभिप्रेत हैं; 1930 का 3

(15) “शासी परिषद्” से धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित कोई शासी परिषद् अभिप्रेत है;

(16) “हॉलमार्क” से बहुमूल्य धातु की वस्तुओं के संबंध में, मानक चिह्न अभिप्रेत है, जो सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार उस वस्तु में बहुमूल्य धातु की आनुपातिक अंतर्वस्तु को उपदर्शित करता है;

(17) “भारतीय मानक” से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित मानक, जिसके अंतर्गत कोई प्रायोगिक या अनन्तिम मानक भी है, अभिप्रेत है, जो ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी और विनिर्देश का सूचक है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन ब्यूरो द्वारा अंगीकृत कोई मानक; और

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित और प्रकाशित या मान्यताप्राप्त कोई मानक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त था; 1986 का 63

1860 का 21

(18) “भारतीय मानक संस्था” से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय मानक संस्थान अभिप्रेत है;

(19) “जौहरी” से विक्रय हेतु मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विनिर्माण कराने के या मूल्यवान धातु की वस्तुओं का विक्रय करने के कारबार में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) “अनुज्ञप्ति” से किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, जो किसी मानक के अनुरूप है, विनिर्दिष्ट मानक चिह्न उपयोग करने के लिए धारा 13 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(21) “विनिर्माता” से किसी माल या वस्तु का डिजाइन तैयार करने और उसका विनिर्माण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(22) “चिह्न” के अंतर्गत कोई आकृति, छाप, सिरा, लेबल, टिकट, चित्ररूपण, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर या अंक या उनका कोई संयोजन भी है;

(23) “सदस्य” से शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति या किसी सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(24) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” या “अधिसूचित” शब्द के प्रयोग का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(25) “व्यक्ति” से माल या वस्तु का कोई विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता या पट्टाकर्ता या कोई सेवा प्रदाता या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल या वस्तु पर अपना नाम, व्यापार चिह्न या कोई अन्य भिन्न चिह्न या कोई सेवा प्रदान करते समय किसी प्रतिफल के लिए उनका उपयोग करता या उन्हें प्रयुक्त करता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुरस्कार या दान के रूप में माल या वस्तुएं देता है या सेवा प्रदान करता है और इसमें उनके प्रतिनिधि तथा ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो ऐसे क्रियाकलापों में लगा है, जहां विनिर्माता, आयातकर्ता, वितरक, फुटकर विक्रेता, विक्रेता, पट्टाकर्ता या सेवा प्रदाता की पहचान नहीं हो सकती;

(26) “मूल्यवान धातु” से सोना, चांदी, प्लेटिनम और प्लैडियम अभिप्रेत है;

(27) “मूल्यवान धातु की वस्तु” से पूर्णतः या भागतः मूल्यवान धातुओं या उनके मिश्रातु से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है;

(28) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(29) “प्रसंस्करण” से ऐसी अंतर-संबंधी या अंतर-क्रियात्मक क्रियाकलापों का सैट अभिप्रेत है, जो आगम को निर्गमों में परिवर्तित करता है;

(30) “मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र” से धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र अभिप्रेत है;

(31) “मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला” से धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त कोई परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(32) “रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी” से किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन को रजिस्टर करने या कोई पेटेंट प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(33) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(34) “विक्रय” से किसी प्रतिफल के लिए या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय, वितरण करना, भाड़े, पट्टे पर देना या उसका विनिमय करना अभिप्रेत है;

(35) “विक्रेता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के विक्रय में लगा है;

(36) “सेवा” से ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी संगठन और किसी ग्राहक के बीच अंतरापृष्ठ पर क्रियाकलापों द्वारा और संगठन के आंतरिक कार्यकलापों द्वारा उत्पन्न परिणाम अभिप्रेत है;

(37) “विनिर्देश” से किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की प्रकृति, क्वालिटी, संख्या, शुद्धता, संरचना, परिमाण, आयाम, भार, श्रेणी, टिकाऊपन, उद्गम, आयु, पदार्थ, विनिर्माण या प्रसंस्करण के ढंग, सेवा परिदान करने की संगतता और विश्वसनीयता या ऐसे अन्य लक्षणों के, जिससे उसका किसी अन्य माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा से विभेद किया जाता है, प्रति यथासाध्य निर्देश से उस माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का वर्णन अभिप्रेत है;

(38) “विनिर्दिष्ट” से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(39) “मानक” से ऐसे दस्तावेजीकृत करार अभिप्रेत हैं जिनमें नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या लक्षणों की परिभाषाओं के रूप में लगातार उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विनिर्देश या अन्य सटीक मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विष्ट हैं कि उनके प्रयोजन के लिए माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाएं ठीक हैं;

(40) “मानक चिह्न” से किसी विशिष्ट भारतीय मानक के माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की अनुरूपता या किसी ऐसे मानक की अनुरूपता का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट चिह्न अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत हॉलमार्क भी है, जिसका चिह्न ब्यूरो द्वारा स्थापित, अंगीकृत किया गया है या उसे मान्यता प्रदान की गई है और जो मानक चिह्न के रूप में वस्तु या माल पर चिह्नित है या उसके आवेष्टक पर या ऐसे माल या वस्तु से संलग्न किसी लेबल पर चिह्नित है;

(41) “पद्धति” से अंतः संबद्ध या अंतः क्रियाशील कारकों का एक सेट अभिप्रेत है;

(42) “परीक्षण प्रयोगशाला” से अपेक्षाओं के एक सेट के प्रति माल या वस्तु का परीक्षण करने और उसके निष्कर्षों की रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(43) “व्यापार चिह्न” से ऐसा चिह्न अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के व्यापार के अनुक्रम में उपदर्शन करने के प्रयोजनार्थ या इस प्रकार उपदर्शन करते हुए जिसे या तो स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के रूप में, उस व्यक्ति की पहचान के उपदर्शन सहित या रहित, जिसे उस चिह्न के उपयोग का अधिकार है, माल या वस्तु या प्रसंस्करण या पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग किया जाता है या उपयोग करना प्रस्थापित है।

अध्याय 2

भारतीय मानक ब्यूरो

ब्यूरो की स्थापना और शासी परिषद् का गठन।

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाएगा।

(2) ब्यूरो पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्थावर और जंगम, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) शासी परिषद् के सदस्यों से ब्यूरो का गठन होगा और ब्यूरो के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारसाधक मंत्री, जो ब्यूरो का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, राज्य मंत्री या उप मंत्री, यदि कोई हो, जो ब्यूरो का पदेन उपाध्यक्ष होगा और जहां ऐसा कोई राज्य मंत्री या उप मंत्री नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण है, भारत सरकार का सचिव, पदेन;

(घ) ब्यूरो का महानिदेशक, पदेन;

(ङ) उतने अन्य व्यक्ति, जितने सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विहित किए जाएं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) उपधारा (3) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और उनके बीच रिक्तियों को भरने की रीति तथा सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

1986 का 63

परन्तु भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधीन गठित भारतीय मानक ब्यूरो के पदेन सदस्य से भिन्न कोई अन्य सदस्य, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् अपनी पदावधि के पूर्ण होने तक सदस्य के रूप में अपने पद पर बना रहेगा।

(5) शासी परिषद् किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी वह इस अधिनियम के किसी उपबंध का अनुपालन करने में सहायता या सलाह लेने की वांछ करे, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, अपने से सहयोजित कर सकेगी और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उन प्रयोजनों से, जिनके लिए सहयोजित किया गया है, सुसंगत शासी परिषद् के विचार-विमर्श में भाग ले, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) शासी परिषद्, लिखित में, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सदस्य, महानिदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन उसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को धारा 37 के अधीन शक्तियों के सिवाय, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

4. (1) शासी परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

ब्यूरो की
कार्यकारिणी
समिति।

(क) ब्यूरो का महानिदेशक, जो उसका पदेन सभापति होगा; और

(ख) उतने सदस्य, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति ऐसे कृत्यों का पालन, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसको शासी परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

5. (1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, शासी परिषद्, समय-समय पर और जब भी यह आवश्यक समझा जाए, ब्यूरो के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए निम्नलिखित सलाहकार समितियां गठित कर सकेगी; अर्थात्:—

ब्यूरो की
सलाहकार
समितियां।

(क) वित्त सलाहकार समिति;

(ख) अनुरूपता निर्धारण सलाहकार समिति;

(ग) मानक सलाहकार समिति;

(घ) परीक्षण और अंशशोधन सलाहकार समिति; और

(ङ) उतनी अन्य समितियां, जितनी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) प्रत्येक सलाहकार समिति, सभापति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

6. धारा 3 के अधीन शासी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी, अर्थात्:—

(क) शासी परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) शासी परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

महानिदेशक।

7. (1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो का एक महानिदेशक नियुक्त करेगी।

(2) ब्यूरो के महानिदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) शासी परिषद् के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा।

(4) ब्यूरो का महानिदेशक ब्यूरो की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) महानिदेशक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ब्यूरो के किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो विनियमों के अधीन उसको समनुदेशित की गई हैं या शासी परिषद् द्वारा उसको प्रत्यायोजित की गई हैं, जिनको वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगा।

ब्यूरो के अधिकारी और कर्मचारी।

8. (1) ब्यूरो ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

ब्यूरो की शक्तियां और कृत्य।

9. (1) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो को समनुदेशित किए जाएं, प्रयोग और पालन शासी परिषद् द्वारा किया जाएगा और विशिष्टतया ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हो सकेंगी—

(क) भारत में या भारत से बाहर शाखाएं, कार्यालय या अभिकरण स्थापित करना;

(ख) ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के लिए मानक चिह्न के समरूप किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, प्रणाली या सेवा के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, किसी अंतरराष्ट्रीय निकाय या संस्था के चिह्न को पारस्परिक आधार पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मान्यता प्रदान करना;

(ग) किसी देश या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में किसी तत्समान संस्था या संगठन के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर ब्यूरो परस्पर सहमत हो, भारत के बाहर ब्यूरो और भारतीय मानकों की मान्यता की ईप्सा करना;

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानों, परिसरों या यानों में प्रवेश करना और तलाशी लेना और माल या वस्तु या दस्तावेजों का निरीक्षण और अभिग्रहण करना;

(ङ) ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर परस्पर सहमति हो, मानकों के अनुपालन के लिए माल या वस्तुओं या प्रसंस्करणों के विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करना;

(च) क्वालिटी प्रबंधन, मानकों, अनुरूपता निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण और अंशशोधन तथा किन्हीं अन्य संबद्ध क्षेत्रों के संबंध में प्रशिक्षण सेवाएं उपलब्ध कराना;

(छ) भारतीय मानकों का प्रकाशन करना और ऐसे प्रकाशनों तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रकाशनों का विक्रय करना;

(ज) भारत और भारत से बाहर अभिकरणों को ब्यूरो के सभी अथवा किन्हीं क्रियाकलापों को करने और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक हों और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, प्राधिकृत करना;

(झ) ब्यूरो के समान उद्देश्यों वाले प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय और विदेशी निकायों में सदस्यता अभिप्राप्त करना और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में भाग लेना;

(ञ) अनुरूपता निर्धारण से भिन्न प्रयोजनों के लिए नमूनों का परीक्षण करना; और

(ट) विधिक माप विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप करना।

(2) ब्यूरो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की क्वालिटी और सुरक्षा के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा, जो उपभोक्ताओं और विभिन्न अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों और ऐसे कदमों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की बाजार निगरानी या सर्वेक्षण को, उनकी क्वालिटी मानीटर करने के लिए कार्यान्वित करना और ऐसी निगरानी या सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को प्रकाशित करना;

(ख) उपभोक्ताओं और उद्योग में जागरूकता पैदा करके किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी का संवर्धन और उन्हें किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में क्वालिटी और मानकों के बारे में शिक्षित करना;

(ग) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में सुरक्षा का संवर्धन;

(घ) किसी ऐसे माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की पहचान, जिसके लिए कोई नया भारतीय मानक स्थापित करने की या किसी विद्यमान भारतीय मानक को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है;

(ङ) भारतीय मानकों के उपयोग का संवर्धन;

(च) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान करना, जो अनुरूपता प्रमाणन में लगी है और किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का या परीक्षण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण;

(छ) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, क्वालिटी में सुधार या क्वालिटी आश्वासन क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में विनिर्माताओं के किसी संगम या उपभोक्ताओं या किसी अन्य निकाय के क्रियाकलापों का समन्वयन और संवर्धन; और

(ज) ऐसे अन्य कृत्य, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए तथा उपभोक्ताओं और अन्य पणधारियों के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

(3) ब्यूरो, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का पालन, निदेश के अनुसार और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं, शासी निकाय के माध्यम से करेगा।

अध्याय 3

भारतीय मानक, प्रमाणीकरण और अनुज्ञप्ति

10. (1) ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक, भारतीय मानक होंगे।

भारतीय मानक।

(2) ब्यूरो—

(क) किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारतीय मानक को स्थापित, प्रकाशित, पुनरीक्षित और संवर्धित कर सकेगा;

(ख) ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारत में या अन्यत्र किसी अन्य संस्था द्वारा किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में स्थापित किसी मानक को भी भारतीय मानक के रूप में अंगीकृत कर सकेगा;

(ग) भारत में या भारत के बाहर किसी ऐसी संस्था को मान्यता या प्रत्यायन प्रदान कर सकेगा, जो मानकीकरण में लगी हो;

(घ) ऐसे अनुसंधान का जिम्मा लेगा, उसकी सहायता और संवर्धन करेगा, जो भारतीय मानकों को तैयार करने के लिए आवश्यक हो।

(3) ब्यूरो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जब कभी आवश्यक समझा जाए, माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों और सेवाओं की बाबत मानकों को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की इतनी संख्या में तकनीकी समितियां गठित कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाएं।

(4) भारतीय मानक अधिसूचित किया जाएगा और ब्यूरो द्वारा वापस लिए जाने का विधिमान्य रहेगा।

(5) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भारतीय मानक या ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का प्रतिलिप्यधिकार ब्यूरो में निहित होगा।

ब्यूरो के प्राधिकार के बिना प्रकाशन, पुनःउद्धरण या अभिलिखित करने का प्रतिषेध।

11. (1) कोई व्यक्ति ब्यूरो के प्राधिकार के बिना, किसी भारतीय मानक या उसके किसी भाग या ब्यूरो के किसी अन्य प्रकाशन का किसी भी रीति या रूप में प्रकाशन, पुनः उद्धरण या उसे अभिलिखित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसा कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा जिससे यह धारणा सृजित होती है या होती हो कि यह इस अधिनियम में यथा अनुध्यात भारतीय मानक है या इसमें भारतीय मानक अंतर्विष्ट है:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपयोग के लिए भारतीय मानक की कोई प्रति तैयार करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुरूपता निर्धारण स्कीम।

12. (1) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी ऐसे भारतीय मानक या किसी अन्य मानक की बाबत, यथास्थिति, किसी माल, वस्तु प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के किसी समूह के लिए कोई विनिर्दिष्ट या भिन्न अनुरूपता निर्धारण स्कीम अधिसूचित कर सकेगा।

(2) ब्यूरो, अपनी प्रत्येक अनुरूपता निर्धारण स्कीम के संबंध में मानक चिह्न विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसे डिजाइन का होगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो किसी विशिष्ट मानक का प्रतिनिधित्व करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुज्ञप्ति या अनुरूपता, प्रमाणपत्र मंजूर करना।

13. (1) कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा भारतीय मानक के अनुरूप है।

(2) जहां कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी मानक के अनुरूप है, तो महानिदेशक विनियमों द्वारा यथा अवधारित और अनुरूपता या अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र के प्रचालन के पूर्व या उसके दौरान ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के संदाय पर जिसके अंतर्गत विलंब फीस या जुर्माना भी है, आदेश द्वारा निम्नलिखित मंजूर कर सकेगा—

(क) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनुरूपता प्रमाणपत्र; या

(ख) ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मानक चिह्न का उपयोग या उसको लागू करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति।

(3) किसी मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति मंजूर करते समय ब्यूरो, आदेश द्वारा आवश्यक रूप से चिपकाए जाने वाले ऐसे चिह्न लगाने और लेबल लगाने वाली अपेक्षाओं को, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) ब्यूरो, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो इसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों, परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा।

14. (1) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी बहुमूल्य धातु वस्तुओं या अन्य माल या वस्तुओं का, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति, किसी हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित होना, उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में अधिसूचित माल या वस्तुएं, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित खुदरा बाजारों के माध्यम से, ऐसे माल या वस्तुओं का ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों द्वारा सुसंगत मानक की अनुरूपता का अवधारण कर दिए जाने और, यथास्थिति, विनियमों द्वारा यथा अवधारित हालमार्क या मानक चिह्न से चिह्नित किए जाने के पश्चात् बेची जा सकेंगी।

(3) केंद्रीय सरकार, ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए, ऐसी शर्तों को, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, पूर्ण करने वाले प्रमाणित विक्रय बाजारों के माध्यम से ही बेचे जाने को अनिवार्य कर सकेगी।

(4) ब्यूरो, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं के विक्रय के लिए किसी जौहरी या किसी अन्य विक्रेता के मानक चिह्न या हालमार्क के प्रमाणन को आदेश द्वारा मंजूर, नवीकृत, निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(5) ब्यूरो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की अनुरूपता निर्धारण और मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं, के लागू किए जाने के लिए परीक्षण और चिह्नांकन केंद्रों को, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में स्थापित, अनुरक्षित और मान्यता प्रदान कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं की बाबत कोई परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र या कसौटी और हालमार्किंग केंद्र, जो ब्यूरो द्वारा मान्यताप्राप्त केंद्र से भिन्न है, किसी माल या वस्तु पर कोई मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं या उसकी मिलती-जुलती नकल है, उपयोग, चिपकाना, समुद्रभूत, उत्कीर्ण, मुद्रित नहीं करेगा या नहीं लगाएगा; और किसी मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी हैं, का उपयोग और लागू किए जाने का दावा विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से नहीं करेगा।

(7) प्रत्येक मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, माल या वस्तुओं की अनुरूपता का परिशुद्धतापूर्वक अवधारण करने के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल या वस्तुओं पर मानक चिह्न का उपयोग या प्रयोग करेगा।

(8) कोई भी मान्यताप्राप्त परीक्षण और चिह्नांकन केंद्र, जिसके अंतर्गत कसौटी और हालमार्किंग केंद्र भी हैं, उपधारा (5) के अधीन उसे मान्यताप्राप्त होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी माल या वस्तु के संबंध में मानक चिह्नांकन, जिसके अंतर्गत हालमार्किंग भी है, या उसकी मिलती-जुलती नकल का तब तक उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

15. (1) कोई व्यक्ति, ब्यूरो से प्रमाणन के अधीन के सिवाय, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल या वस्तु का आयात, वितरण, विक्रय, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, ब्यूरो द्वारा प्रमाणित से भिन्न, धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित और मानक चिह्न से चिह्नित माल या वस्तुओं, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, का विक्रय या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा और विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, मूल्य सूचियों या इसी प्रकार से अन्य माध्यम से मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, के संबंध में दावा नहीं करेगा।

जौहरियों और कतिपय विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के विक्रेताओं के मानक चिह्नों का प्रमाणन।

आयात, विक्रय, प्रदर्शन आदि का प्रतिषेध।

(3) कोई भी प्रमाणित जौहरी या विक्रेता इस बात के होते हुए भी कि उसे मानक चिह्न के साथ, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, प्रमाणन प्रदान किया गया है, किन्हीं अधिसूचित माल या वस्तुओं या उनकी मिलती-जुलती नकल का विक्रय या प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल या वस्तुएं ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, मानक चिह्न या हालमार्क से चिह्नित नहीं है, और जब तक ऐसा माल या वस्तु सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग का निदेश दिया जाना।

16. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में या मानव, पशु या पौध स्वास्थ्य के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा या अत्ररुजु व्यापार पद्धतियों के निवारण या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित कर सकेगा—

(क) किसी अनुसूचित उद्योग का माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा;

(ख) ऐसे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसी आवश्यक अपेक्षाएं,

और जो किसी मानक के अनुरूप होगी तथा ऐसे माल वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पर अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति या अनुरूपता प्रमाणपत्र के अधीन मानक चिह्न का उपयोग करने का निदेश दे सकेगी।

स्पष्टीकरण — इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) “अनुसूचित उद्योग पद” का अर्थ वही होगा जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में है;

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि आवश्यक अपेक्षाएं, प्राप्त किए जाने वाले पैरामीटरों के निबंधनों में अभिव्यक्त अपेक्षाएं या तकनीकी निबंधनों में मानक की अपेक्षाएं हैं, जो प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती हैं कि कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के उद्देश्य को प्रभावी रूप से पूरा करता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ब्यूरो या आवश्यक प्रत्यायन या मान्यता तथा विधिमान्य अनुमोदन रखने वाले किसी अन्य अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के संबंध में अनुरूपता प्रमाणन और उसके प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

मानक चिह्नकन के बिना कतिपय माल के विनिर्माण, विक्रय आदि का प्रतिषेध।

17. (1) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, मानक चिह्नकन के बिना, धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, किराए पर देना, पट्टे पर देना, भंडारण या विक्रय के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा; या

(ख) इस बात के होते हुए भी कि उसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, मानक चिह्न का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक ऐसा माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा सुसंगत मानक या विहित आवश्यक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

(2) कोई भी व्यक्ति विज्ञापनों, विक्रय संवर्धन विज्ञप्तियों, कीमत सूचियों या इसी प्रकार से अन्य के माध्यम से लोक दावा नहीं करेगा कि उसका माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा किसी भारतीय मानक के अनुरूप है या ब्यूरो या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी से विधिमान्य अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना माल या वस्तु पर ऐसी घोषणा नहीं करेगा।

(3) ब्यूरो से किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसा करने के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा या किसी पेटेंट के हक में या किसी व्यापार चिह्न या डिजाइन के हक में, विनिर्माण, वितरण, विक्रय, किराए पर देने, पट्टे पर देने या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्ताव के लिए मानक चिह्न या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल का किसी भी रीति में उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा या तात्पर्यित रूप से उनका उपयोग या प्रयोग नहीं करेगा।

18. (1) अनुज्ञप्तिधारी, सभी समयों पर मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की अनुरूपता के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुज्ञप्तिधारी,
विक्रेता आदि की
बाध्यताएं।

(2) यथास्थिति, वितरक या विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि मानक चिह्न वाले माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारी से क्रय की जाएं।

(3) माल या वस्तुओं के विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने अथवा प्रदर्शन या विक्रय के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व विक्रेता का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि—

(क) ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट मानक चिह्न वाले माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं पर अपेक्षित लेबल और चिह्नांकन ब्यौरे हों;

(ख) उत्पाद या आवरण पर चिह्नांकन और लेबल अपेक्षाएं ऐसी रीति में प्रदर्शित की जाएं, जो ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक ब्यूरो को ऐसी सूचना और यथास्थिति, किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में उपयोग की गई सामग्री या पदार्थ के ऐसे नमूनों का प्रदाय करेगा जो ब्यूरो उनकी गुणवत्ता की मानीटरी के लिए और ऐसी फीस की वसूली के लिए जो अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति में विहित की जाए, के लिए अपेक्षा करे।

(5) (क) ब्यूरो यह देखने के लिए कि क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा जिसके संबंध में किसी मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा करती है या क्या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या अनुज्ञप्ति के बिना मानक चिह्न का उपयोग उचित रूप से किया गया है, ऐसा निरीक्षण कर सकेगा और किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने ले सकेगा जो वह उचित समझे।

(ख) ब्यूरो अपने निष्कर्षों तथा उसके अनुसरण में दिए गए निदेशों के परिणामों का प्रचार कर सकेगा।

(6) यदि ब्यूरो का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन वे माल, वस्तुएं, प्रसंस्करण, पद्धतियां या सेवाएं, जिनके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं, तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को अननुपालनकारी माल या वस्तुओं की आपूर्ति और विक्रय को बंद करने का निदेश दे सकेगा और उन अननुपालनकारी माल या वस्तुओं, जिनकी पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है या विक्रय के लिए जिनका प्रस्ताव किया जा चुका है और जिन पर ऐसा चिह्न लगा है, जो बाजार या किसी ऐसे स्थान से, जहां से उनका विक्रय के लिए प्रस्ताव किए जाने की संभावना है, वापस मंगाने का निदेश दे सकेगा या सेवा प्रदान करने का प्रतिषेध कर सकेगा।

(7) जहां किसी प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं का विक्रय किया है, जिन पर मानक चिह्न लगा हुआ है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी है, जो सुसंगत मानक के अनुरूप नहीं है, तो ब्यूरो प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसके प्रतिनिधि को,—

(क) मानक चिह्न लगे हुए माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा की ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, मरम्मत करने या उसे प्रतिस्थापित या पुनः प्रसंस्कृत करने का निदेश देगा; या

(ख) उपभोक्ता को ऐसा प्रतिकर देने का निदेश दे सकेगा जो कि ब्यूरो द्वारा विहित किया जाए; या

(ग) ऐसे अननुपालनकारी माल या वस्तु, जिस पर मानक चिह्न लगा है, द्वारा कारित किसी क्षति के लिए धारा 31 के उपबंधों के अनुसार दायी होने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

- भारतीय मानक ब्यूरो का वित्तीय प्रबंध। 19. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ब्यूरो को ऐसी धनराशियों का अनुदान और ऋण प्रदान कर सकेगी, जो सरकार आवश्यक समझे।
- ब्यूरो की निधि। 20. (1) भारतीय मानक ब्यूरो निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—
- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्यूरो को दिया गया कोई अनुदान और उधार;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी फीसों और प्रभार;
- (ग) ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी जुर्माने;
- (घ) ब्यूरो द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त राशियां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं।
- (2) निधि का उपयोग निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—
- (क) ब्यूरो के सदस्यों, महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;
- (ख) अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन में व्यय; और
- (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्यय:
- परन्तु उपधारा (1) के खंड (ग) में प्राप्त जुर्मानों का उपयोग उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संरक्षण और देश में माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों या सेवाओं की गुणवत्ता के संवर्धन के लिए किया जाएगा।
- ब्यूरो की उधार लेने की शक्तियां। 21. (1) ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार किसी भी स्रोत से, जो वह ठीक समझे, धन उधार ले सकेगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार ब्यूरो द्वारा उपधारा (1) के अधीन लिए गए उधारों की बाबत मूल धन के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के संदाय को ऐसी रीति से प्रत्याभूत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।
- बजट। 22. ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें ब्यूरो की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किए जाएंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।
- वार्षिक रिपोर्ट। 23. (1) ब्यूरो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा-जोखा देगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट को उसके प्राप्त होने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
- लेखा और संपरीक्षा। 24. (1) ब्यूरो उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श से विहित किया जाए।
- (2) ब्यूरो के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर संपरीक्षा की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत किसी व्यय का संदाय ब्यूरो द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को किया जाएगा।
- (3) ब्यूरो के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार तथा विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं तथा विशिष्टतया उसे बहियों, लेखाओं संबंधी वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मांग करने और ब्यूरो के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित ब्यूरो के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण उपबंध

25. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ब्यूरो इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के पालन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो उसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे : केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

परंतु ब्यूरो को, यथासाध्य रूप से, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पूर्व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जो माल, वस्तुओं, प्रसंस्करणों, पद्धतियों तथा सेवाओं की क्वालिटी के संवर्धन, मानीटरी और प्रबंध के लिए और उपभोक्ताओं तथा विभिन्न पणधारियों के हितों की संरक्षा करने के लिए आवश्यक हो तथा धारा 16 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए किसी अन्य माल, वस्तुओं, प्रक्रियाओं, प्रणाली और सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

26. (1) कोई व्यक्ति लोगों को प्रवंचित करने या प्रवंचित करने की संभावना के दृष्टिकोण से ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना,— ब्यूरो और भारतीय मानक के नाम के उपयोग पर निर्बंधन।

(क) किसी नाम का, जो ब्यूरो के नाम से काफी मिलता-जुलता है जिससे लोगों को प्रवंचित करता हो या प्रवंचित करने की संभावना हो या ऐसा नाम है, जिसमें “भारतीय मानक” पद या उसका कोई संक्षेपाक्षर अंतर्विष्ट है; या

(ख) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में किसी पेटेंट या चिह्न या व्यापार चिह्न या डिजाइन, जिसमें “भारतीय मानक” या “भारतीय मानक विनिर्देश” या ऐसे पदों के किसी संक्षेपाक्षर का,

उपयोग नहीं करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी:—

(क) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्तियों के अन्य निकाय को, जिसका कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ख) कोई ऐसा व्यापार चिह्न या डिजाइन जिस पर कोई नाम या चिह्न हो, रजिस्टर नहीं करेगा; या

(ग) किसी आविष्कार के संबंध में, जिसका शीर्षक ऐसा हो, जिस पर कोई नाम या चिह्न हो, कोई पेटेंट प्रदान नहीं करेगा,

यदि ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में हो।

(3) यदि किसी रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि किसी नाम या चिह्न का उपयोग उपधारा (1) के उल्लंघन में है तो वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस प्रश्न को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर सकेगा और उस पर उस सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्रमाणन प्राधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियाँ।

27. (1) ब्यूरो यह निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, सुसंगत मानक के अनुरूप हैं या क्या मानक चिह्न का उपयोग किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के संबंध में अनुज्ञप्ति के साथ या उसके बिना उचित रूप से किया गया है और ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन के लिए, जो उन्हें सौंपे जाएं, उतने प्रमाणन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने आवश्यक हों।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, प्रमाणन अधिकारी को,—

(क) किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, की बाबत किए गए किसी प्रचालन का निरीक्षण करने की शक्ति होगी; और

(ख) किसी माल या वस्तु के या किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिसके संबंध में मानक चिह्न का उपयोग किया गया है, में उपयोग की गई किसी सामग्री या पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति होगी।

(3) ब्यूरो द्वारा प्रत्येक प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणन अधिकारी के रूप में नियुक्ति का एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और मांग किए जाने पर प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्ति धारक—

(क) प्रमाणन अधिकारी को उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ख) उन शर्तों में किसी परिवर्तन के बारे में प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो को सूचित करेगा, जो प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अनुरूपता प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के समय घोषित या सत्यापित की गई थी।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए किसी कथन या प्रदान की गई सूचना या दिए गए साक्ष्य से या किए गए निरीक्षण से प्रमाणन अधिकारी या ब्यूरो द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना गोपनीय समझी जाएगी:

परंतु अभियोजन और उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के प्रयोजन के लिए किसी सूचना के प्रकटन को कोई बात लागू नहीं होगी।

तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

28. (1) यदि प्रमाणन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा, जिनके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, को किसी स्थान, परिसर या यान में छिपाकर रखा गया है तो वह ऐसे, यथास्थिति, माल या वस्तुओं, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा के लिए ऐसे स्थान, परिसर या यान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन की गई किसी तलाशी के परिणामस्वरूप ऐसा कोई माल या वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा पाई जाती है जिसके संबंध में धारा 11 या धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 या धारा 17 का उल्लंघन हुआ है, वहां प्रमाणन अधिकारी ऐसे माल या वस्तु और अन्य सामग्री तथा दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत है:

परंतु जहां ऐसे माल या वस्तु या सामग्री या दस्तावेज का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां प्रमाणन अधिकारी स्वामी पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह प्रमाणन अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या वस्तु या सामग्री या दस्तावेज को नहीं हटाएगा, विलग नहीं करेगा या अन्यथा उनमें व्यौहार नहीं करेगा।

(3) तलाशियों और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 11 या धारा 26 की उपधारा (1) का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। उल्लंघन के लिए शांति।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न, जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, लगे माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए से कम नहीं होगा और दूसरे तथा पश्चात्पूर्वी उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिह्न जिसके अंतर्गत हालमार्क भी है, से लगे या उसके साथ प्रयुक्त माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा:

परंतु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे।

30. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है वहां कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जो उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था या कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि या साथ ही वह कंपनी अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहमति या मौनानुकूलता से या उसके बिना किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया माना जा सकता है, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंड दिए जाने के भागी होंगे।

कंपनियों द्वारा अपराध।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

31. जहां किसी अनुज्ञप्तिधारक या अनुरूपता प्रमाणपत्र धारक या उसके प्रतिनिधि ने ऐसे किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा का विक्रय किया है, जिस पर ऐसा मानक चिह्न, जो सुसंगत मानकों के अनुरूप नहीं है या उसकी कोई मिलती-जुलती नकल लगी हुई है, वहां प्रमाणित निकाय या अनुज्ञप्तिधारक या उसका प्रतिनिधि उपभोक्ता के प्रति ऐसे अनुरूपकारी माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति या सेवा द्वारा कारित क्षति के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिकर के लिए दायी होंगे।

अनुरूपकारी माल के लिए प्रतिकर।

32. (1) मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट या इस निमित्त विशिष्ट रूप से सशक्त प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के द्वारा किए गए किसी परिवाद के सिवाय नहीं लेगा,—

(क) ब्यूरो द्वारा या ब्यूरो के प्राधिकार के अधीन; या

(ख) उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा; या

- (ग) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा; या
- (घ) सरकार के प्राधिकार के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा; या
- (ङ) किसी उपभोक्ता द्वारा; या
- (च) किसी संगम द्वारा।

(3) उप पुलिस अधीक्षक या उसके समतुल्य से अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि धारा 29 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह बिना वारंट के तलाशी ले सकेगा और माल, डाई, ब्लाक, मशीन, प्लेट, अन्य उपकरणों या चीजों का, जो अपराध के करने में अंतर्वलित हैं, चाहे जहां भी पाई जाएं, अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, यथा साध्य शीघ्रता से उपधारा (1) में यथा विहित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि वह संपत्ति जिसकी बाबत उल्लंघन हुआ है ब्यूरो को समपहृत हो जाएगी।

(5) न्यायालय निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कोई जुर्माना पूर्णतया या उसका कोई भाग ब्यूरो को संदेय होगा।

अपराधों का शमन।

33. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहली बार दंडनीय किसी ऐसे अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध नहीं है, का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् महानिदेशक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा: 1974 का 2

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में जुर्माने की अधिकतम रकम से, जो इस प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए धारा 29 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी, से अधिक नहीं होगी और पूर्व में शमन किए गए अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् किए गए किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध को पहली बार किया गया अपराध माना जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध के शमन करने से संबंधित शक्तियों का उपयोग ब्यूरो के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए करेगा।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व किया गया है, वहां अपराधी के विरुद्ध, ऐसे अपराध के संबंध में, जिसके लिए इस प्रकार अपराध का शमन किया गया है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसे शमन को उस न्यायालय की जानकारी में, जिसमें अभियोजन लंबित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लाया जाएगा और अपराध के शमन के लिए ऐसी सूचना देने पर और न्यायालय द्वारा उसको स्वीकार किए जाने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

अपील।

34. (1) इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 14 की उपधारा (4) या धारा 17 के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो के महानिदेशक को यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

(2) अपील के लिए विहित अवधि के पश्चात् की गई किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जाएगा:

परंतु अपील के लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी महानिदेशक का यह समाधान कर देता है कि विहित अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) किसी अपील का निपटान करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परंतु किसी अपील का निपटान करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) महानिदेशक स्वप्रेरणा से या विहित रीति में किए गए किसी आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे उसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

1860 का 45

35. ब्यूरो के सभी सदस्यों और सभी अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थात्गत लोक सेवक हैं।

ब्यूरो के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या ब्यूरो के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

37. ब्यूरो द्वारा जारी सभी आदेश और विनिश्चय और सभी अन्य लिखतें, ऐसे अधिकारी या अधिकारियों के हस्ताक्षर द्वारा, जो ब्यूरो द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, अधिप्रमाणित की जाएंगी।

ब्यूरो के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन।

38. केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

39. कार्यकारिणी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और नियमों से संगत विनियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

40. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

1937 का 1

1940 का 23

41. अधिनियम की कोई बात कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 या औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, जो किसी माल, वस्तु, प्रसंस्करण पद्धति या सेवा के किसी मानकीकरण या क्वालिटी नियंत्रण से व्यौहार करते हैं, के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी।

कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन पर अधिनियम का प्रभाव न होना।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और
व्यावृत्ति।

43.(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

1986 का 63

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जिसके अंतर्गत कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, स्कीम, विनिर्देश, भारतीय मानक, मानक चिह्न, किया गया, जारी किया गया या अंगीकृत निरीक्षण आदेश या सूचना, की गई कोई नियुक्ति या घोषणा या दी गई कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, प्राधिकार या प्रदान की गई छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखित या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित शास्ति या जुर्माना भी है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में किसी विशिष्ट विषय के उल्लेख के बारे में यह नहीं माना जाएगा कि वह निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप में लागू किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

1897 का 10